

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं० सं०- प०नि०वि०-निधि-9-16/12

47(8) A

दिनांक : 9/5/12

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, साहेबगंज, गोड्डा, चाईबासा एवं पाकुड़।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के व्यय शीर्ष -5054- सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय -03- राज्यों के राजमार्ग - जन-जातीय उप-योजना- 796- जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना - 01- वृहद् सड़कें-05- निर्माण-45- मुख्य निर्माण कार्य- 41P505403796010545 के अर्न्तगत कुल राशि 5090.76 लाख (पचास करोड़ नब्बे लाख छिहत्तर हजार) रुपये का निधि का आवंटन।

आदेश : उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अर्न्तगत कार्य० अभि०, पथ प्रमं०, चाईबासा के पत्रांक- 585 अनु० दि०- 17.04.12, कार्य० अभि०, पथ प्रमं०, गोड्डा के पत्रांक- 395 दि०- 20.04.12, कार्य० अभि०, पथ प्रमं०, साहेबगंज के पत्रांक- (763, 764, 759, 758, 760, 761, 762) अनु०, दि०- 20.04.12 एवं कार्य० अभि०, पथ प्रमं०, पाकुड़ के पत्रांक- 425 अनु०, दि०- 03.05.12 के मांग पत्र के आलोक में उल्लिखित कार्यों के सामने कॉलम- 7 में अंकित राशि आवंटित की जाती है :-

क्रम सं०	पथ प्रमण्डल का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० लाख में)	वित्तीय वर्ष 11 - 12 तक कुल व्यय (रु० लाख में)	वित्तीय वर्ष 12 -13 में पूर्व में आवंटन (रु० लाख में)	वित्तीय वर्ष 12-13 में वर्तमान में आवंटन (रु० लाख में)	वित्तीय वर्ष 12-13 में कुल आवंटन (रु० लाख में)	कुल विमुक्त राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	साहेबगंज	मंगलहाट - तालझारी पथ के कि०मी० 0.00 से 4.575 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	332.25	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		तीन पहाड़ रेलवे स्टेशन लिंक पथ (MDR No. 210) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 1.425 के मजबूतीकरण कार्य।	181.662	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00
		पाकुड़-बरहरवा पथ के कि०मी० 13 से 29 एवं बरहरवा-दिग्धी मोड़ एन०एच० 80 लिंक पथ के कि०मी० 0.00 - 3.65 तक के पननिर्माण कार्य।	6642.27	2872.41235	0.00	250.00	250.00	3122.41235
		सिमरा-बोआरीजोर-बोरियो पथ के कि०मी० 24 से 28 अंश तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अवशेष कार्य।	390.34	232.72008	0.00	150.00	150.00	382.72008
		साहेबगंज निरीक्षण भवन लिंक पथ (MDR No. 214) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 0.675 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	27.02	19.82303	0.00	8.50	8.50	28.32303
		बरहरवा हाई स्कूल लिंक पथ के कि०मी० 0.757 में Improvement of Ridding Quality कार्य।	6.99074	0.00	0.00	7.26	7.26	7.26
		बोरियो तीनपहाड़ - राजमहल पथ के कि०मी० 0.00 से 28.00 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	3417.28	472.54	0.00	800.00	800.00	1272.54
2.	गोड्डा	गोड्डा - सुन्दरपहाड़ी धरमपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 31 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	2340.89222	953.21235	0.00	100.00	100.00	1053.21235
		गोड्डा - पीरपैती पथ के कि०मी० 9 से 16 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	1254.00	948.72732	0.00	100.00	100.00	1048.72732

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		गोड्डा - पीरपैती पथ के कि०मी० 17 से 24 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	1194.00	908.41721	0.00	50.00	50.00	958.41721
		गोड्डा - पीरपैती पथ के कि०मी० 53 से 61.875 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	1256.00	459.59097	0.00	50.00	50.00	509.59097
3.	चाईबासा	हाटगमहरिया पी०डब्लू० डी० पथ से बनीसागर भाया बलंडिया, मझगाँव पथ के कि०मी० 0.00 से 44.485 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	3232.75822	1433.30644	0.00	300.00	300.00	1733.30644
		तांतनगर से मझगाँव भाया भरभरिया, कुमारडुंगी, अंधारी पथ के कि०मी० 34.00 से 60.00 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	4931.8814	616.26867	0.00	300.00	300.00	916.26867
		हाता - चाईबासा पथ के कि०मी०-33.05 से 41.05 का पुनर्निर्माण कार्य।	127.2893	2182.2498	0.00	150.00	150.00	2332.2498
		सिंहपोखरिया पी०डब्लू० डी० पथ से जैतगढ़ भाया झिंकपानी, सिंगरसिया, जगन्नाथपुर पथ के कि०मी०- 0.00 से 26.00 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	8270.217	939.75582	0.00	200.00	200.00	1139.75582
		भोया-पण्ड्राशाली पथ के कि०मी० 0.00 से 5.575 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	690.447	151.46977	0.00	200.00	200.00	351.46977
4.	पाकुड़	पाकुड़ - बरहरवा पथ के कि०मी० 0.00 से 12.00 तक पुनर्निर्माण कार्य	6642.27	540.00	0.00	300.00	300.00	840.00
		पाकुड़-धुलियान पथ के कि०मी० 0.00 से 6.00 में अवस्थित पुलों के प्रतिस्थापन वाटर सप्लाई, पाईप लाईन के शिफ्टिंग एवं प्रोटेक्शन कार्य।	1537.04	570.00	0.00	150.00	150.00	720.00
		गोड्डा - सुन्दरपहाड़ी धरमपुर पथ के कि०मी० 32.00 से 45.05 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	1630.70	450.00	0.00	300.00	300.00	750.00
		महेशपुर-पाकुड़िया पथ के कि०मी० 0.00 से 22.80 के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य।	618.07	113.00	0.00	500.00	500.00	613.00
		अमरापाड़ा-महेशपुर-मुरारोई पथ के कि०मी० 18.00 से 30.013 तक मजबूतीकरण कार्य।	1797.05	230.00	0.00	200.00	200.00	430.00
		अमरापाड़ा-महेशपुर-मुरारोई पथ के कि०मी० 0.00 से 17.00 तक मजबूतीकरण कार्य।	930.52	185.00	0.00	300.00	300.00	485.00
		पाकुड़-महेशपुर पथ के कि०मी० 14.50 से 26.965 तक का पुनर्निर्माण कार्य।	1472.52	250.00	0.00	200.00	200.00	450.00
		लिट्टीपाड़ा-पाकुड़ पथ के कि०मी० 0.00 से 29.152 तक पुनर्निर्माण /मजबूतीकरण कार्य।	3693.40	598.06	0.00	300.00	300.00	898.06

आवंटित राशि :- 5090.76 लाख (पचास करोड़ नब्बे लाख छिहत्तर हजार) रुपये मात्र।

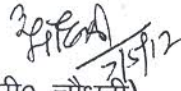
- आवंटित राशि व्यय शीर्ष-5054-सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय-03-राज्यों के राजमार्ग-जन-जातीय उप-योजना-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना-01-वृहद् सड़कें-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य-41P505403796010545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 आय-व्यय में उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- आवंटित राशि की वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561/वि०(2), दिनांक 17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक 1800/वि, दिनांक 15.07.03 एवं पत्रांक-533(वि०), दिनांक 03.03.2004 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में निकासी की जाय।

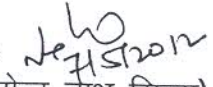
Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

4. आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक टी0भी0 नं0, चेक नम्बर एवं तिथि के साथ महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँ।
5. इस राशि की किसी भी हालत में बिना पूर्वानुमति के सेल्फ चेक द्वारा निकासी नहीं की जाय।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
7. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निर्देश के आलोक में किया जाय। साथ ही, वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
8. इसकी सूचना महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा), झारखण्ड, राँची को भी दी जा रही है।
9. राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता के नियम- 300 का अनुपालन सख्ती से किया जाय अर्थात् तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाय।
10. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।
11. तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाय।

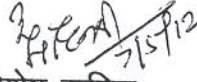

(ए0पी0 चौधरी)
विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।

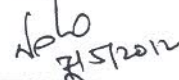

(नागेन्द्र नाथ सिन्हा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0-निधि-9-16/12, 47(S) A

दिनांक : 9/5/12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा), झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

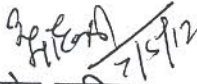

विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।

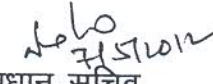

प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0-निधि-9-16/12, 47(S) A

दिनांक : 9/5/12

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/विशेष सचिव, प0नि0वि0, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

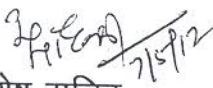

विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।

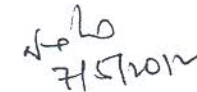

प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0-निधि-9-16/12, 47(S) A

दिनांक : 9/5/12

प्रतिलिपि : अभियन्ता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियन्ता (या0)/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, पथ अंचल/कार्यपालक अभियन्ता, (अनु0, मु0)/उप सचिव, (प्र0 को0) पथ निर्माण विभाग, राँची/सचिव (को0)/अध्यक्ष, ई-प्रोक्यूरमेंट सेल/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, प0नि0वि0, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।


प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग
झारखण्ड, राँची।